

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—17 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दिलीप सिंह पुत्र राम कुमार नि० ककरहा मौजा बलमत्थर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०— 225/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सूर्यलाल उर्फ दरजा पुत्र सत्यनरायन नि० करौदी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—297/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. विनोद कु

मार सोनकर पुत्र सूर्य नरायन सोनकर नि० तेलई पुरवा अचल नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—145/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अजय निषाद पुत्र राजेश निषाद नि० महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—352/20, 02. खूटी यादव उर्फ कृष्ण मोहन पुत्र बेकारू नि० राम निहोरे पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—356/20, 03. देशराज उर्फ हैदर पुत्र जोखू नि० कुर्मी पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—357/20, 04. लक्ष्मी सोनकर पुत्र हीरा लाल सोनकर नि० नरायनपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—358/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सुग्रीव पुत्र जगदीश प्रसाद नि० नैनागढ़ थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—350/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**06. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बंशी लाल पुत्र मछलू सोनकर नि० बरइन पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—254/20, 02. राम बदल पुत्र जोखू नि० खलिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—255/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## बलवा व मारपीट करने के आरोप में 03 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. निजामुद्दीन उर्फ पिन्टू पुत्र असीन नि0 तरबगंज रोड थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. चाँदबाबू पुत्र हनीफ नि0 तरबगंज रोड थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. अजीज पुत्र मो0 अफजल नि0 रगड़गंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—253/20, धारा 147.148.149.323.188 भादवि व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 29.08.2020 को उक्त आरोपी अभियुक्तों ने वादी की दुकान पर लॉकडाउन के दौरान गुटखा लेने की बात को लेकर बलवा करते हुए वादी के लड़के को मारपीट कर घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## थाना खोड़ारे ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. इनायतुल्ला उर्फ तजू पुत्र हमीदुल्लाह नि0 मढवा खुर्द थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—204/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 30.08.2020 को थाना खोड़ारे के उ0नि0 सत्येन्द्र वर्मा मय हमराह के साथ आगामी मोहर्रम त्यौहार के मद्देनजर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि समसापुर पुलिया के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 सत्येन्द्र वर्मा
02. का0 नितिन यादव।
03. का0 धर्मवीर सिंह।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 30.08.2020

### चोरी की योजना बनाते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. साजन प्रजापति पुत्र नन्द किशोर नि० म०नं० 547 आश्रय, आवास सिविल लाइन थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. सहवान पुत्र राजू नि० पंतनगर फोरबिशगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—617/20, धारा 401 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—618/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०—619/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
03. चोरी करने के उपकरण।

#### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 29/30.08.2020 की रात्रि थाना को० नगर के उ०नि० मुकेश पाण्डेय, उ०नि० चन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को महादेवा कासिंग के पास से चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त साजन प्रजापति के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त सहवान के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को० नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० मुकेश पाण्डेय।
02. उ०नि० चन्द्र प्रताप सिंह।
03. उ०नि० रामदेव।
04. का० आनन्द कुमार।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 30.08.2020

### चोरी की 04 अदद मोटरसाईकिलें बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. तसऊवर पुत्र बेकारू नि० मौजा धनौरा धनजीपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०— 615/20, धारा 411.419.420.467.468.471 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी—

01. 04 अदद मोटरसाईकिलें

#### संक्षिप्त विवरण—

जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 29.08.2020 थाना को० नगर पुलिस चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर थे कि वाहन चेकिंग के दौरान उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व निशानदेही से 03 अन्य चोरी की मोटरसाईकिलें बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने दोस्तों के साथ अन्य जगहो से मोटरसाईकिल चुराकर लाते है तथा उनके नं० प्लेट बदलकर यहा बेच देते है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को० नगर में मु०अ०सं०— 615/20, धारा 411.419.420.467.468.471 भादवि भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. व०उ०नि० बृजानन्द सिंह।
02. उ०नि० दिलीप कुमार उपाध्याय।
03. उ०नि० मुकेश पाण्डेय।
04. उ०नि० भानू सिंह।
06. हेड का० अतुल सिंह।
07. का० आशीष।